# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 95/2009

1. श्रीमती गोपी पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मण जाति जाट
2. राजू पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण जाति जाट
3. श्रीमती भंवरी पत्नि स्व0 श्री रामधन जाति जाट
   सर्व निवासीगण ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र स्व0 श्री सूरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. श्रीमती लाड़ा पुत्री स्व0 श्री सूरजकरण पत्नि श्री रामधन जाति जाट (नुवाद) निवासी ग्राम हरमाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 श्री सूरजकरण पत्नि श्री सुण्डाराम जाति जाट निवासी ग्राम फलौदा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमती मनभर पुत्री स्व0 श्री सूरजकरण पत्नि श्री गोलू जाति जाट निवासी ग्राम इन्दोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. श्रीमती सीता पुत्री स्व0 श्री सूरजकरण पत्नि श्री नौरत जाति जाट निवासी ग्राम इन्दोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. रामकरण पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
8. उप पंजीयक किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 19/09/2024

उपस्थितः श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — प्रार्थीगण अभिभाषक
श्री करतार सिंह चौधरी — अप्रार्थीगण

## निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि – प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 80 ख0नं0 126 रकबा 02–03–10 एवं ख0नं0 756/2 रकबा 11–13–00 कुल किता 2 कुल रकबा 15–09–10 भूमि ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 का 1790/4660 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 से 5 का 1/30 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं0 6 का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 24.10.2018 को उनका जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया तथा अप्रार्थी सं0 7 पैरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब पेश किया गया।

4. उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जमाबन्दी में वर्णित खातेदार सूरजकरण का स्वर्गवास हो चुका है एवं सूरजकरण की पत्नि सरजू का भी स्वर्गवास हो चुका है। सूरजकरण के वारिसान अप्रार्थी सं0 1 से 5 है व सूरजकरण की मृत्यु पश्चात् नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 1 से 5 के नाम दर्ज हो रखा है। उक्त भूमि का मौके पर मय नीव सीव अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि का हिस्सेनुसार नाप चौप कर बंटवारा नहीं हो रखा है जिसके कारण आये दिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 के मध्य विवाद, लड़ाई, झगड़ा होता रहता है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बिना विभाजन किये विक्रय या अन्तरण करने का, किराये पर देने का, लीज पर देने का अप्रार्थी सं0 1 से 6 को कोई अधिकार नहीं है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अप्रार्थी सं0 1 से 6 भूमि का अन्तरण कर देते है या प्रार्थीगण को बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी मुद्रा में सम्भव नहीं है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान अप्रार्थी सं0 1 से 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण को अपने पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– इस बिन्दु का भार प्रार्थीगण पर था प्रार्थीगण द्वारा ग्राम तिलोनिया की पेश जमाबन्दी अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थीगण के रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला उनके हक में सिद्ध होता है। अतः उक्त बिन्दू बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति–उक्त दोनो बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। सुविधा कि दृष्टि से उक्त दोनो बिन्दु का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा शपथ पूर्वक यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी सं0 1 से 6 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि हिस्सा 1/6 में प्रार्थीगण के काश्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

1471/4660 हिस्सा निहित है। जमाबन्दी में वर्णित खातेदार सूरजकरण का स्वर्गवास हो चुका है एवं सूरजकरण की पत्नि सरजू का भी स्वर्गवास हो चुका है। सूरजकरण के वारिसान अप्रार्थी सं0 1 से 5 है व सूरजकरण की मृत्यु पश्चात् नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 1 से 5 के नाम दर्ज हो रखा है। उक्त भूमि का मौके पर मय नीव सीव अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि का हिस्सेनुसार नाप चौप कर बंटवारा नहीं हो रखा है जिसके कारण आये दिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 के मध्य विवाद, लड़ाई, झगड़ा होता रहता है। दिनांक 16.08.2009 को अप्रार्थी सं0 1 अजनबी व्यक्ति को वाद अधीन कृषि भूमि पर लेकर आया तथा वाद अधीन भूमि के विक्रय की बातचीत करने लगा तक प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 को बिना विभाजन विक्रय करने से मना किया एवं आपसी सहमती से सभी अप्रार्थीगण को विभाजन करने का निवेदन किया परन्तु सभी ने इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी सं0 1 ने धमकी दी कि वह बिना विभाजन के ही वाद अधीन आराजी का अन्तरण करेगा या किसी टॉवर कम्पनी को वाद अधीन भूमि किराये पर देकर रहेगा। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बिना विभाजन किये विक्रय या अन्तरण करने का, किराये पर देने का, लीज पर देने का अप्रार्थी सं0 1 से 6 को कोई अधिकार नहीं है। वाद कारण ग्राम तिलोनिया में दिनांक 16.08.2009 को उत्पन्न होकर आज दिन तक दिन प्रतिदिन जारी है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अप्रार्थी सं0 1 से 6 भूमि का अन्तरण कर देते है या प्रार्थीगण को बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी मुद्रा में सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 से 6 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे स्वयं, उनके सगे सम्बन्धी, नौकर चाकर, एजेन्ट आदि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं वाद अधीन आराजी को ताफैसला मूल वाद विक्रय, बन्धक, दान, वसीयत, रहन आदि किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे व वाद अधीन भूमि को किसी कम्पनी को लीज पर या किराये पर नहीं दे।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 2 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 11.09.2009 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई व अप्रार्थी सं0 1 व 3 लगायत 6 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कार्य में बाधा उत्पन्न कराई जा रही है। यदि प्रार्थीगण को उनकी आराजी में काश्त करने से रोका गया तो उन्हे अपूर्तनीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

अतः न्यायालय हाजा का अभिमत है कि ग्राम तिलोनिया पटवार हल्का तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 80 ख0नं0 126 रकबा 02–03–10 एवं ख0नं0 756/2 रकबा 11–13–00 कुल किता 2 कुल रकबा 15–09–10 भूमि के विचाराधीन मूल राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से अप्रार्थीगण को रोका जावे एवं उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता ना बढ़े। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात् ख0नं0 126 रकबा 02–03–10 एवं ख0नं0 756/2 रकबा 11–13–00 कुल किता 2 कुल रकबा 15–09–10 भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करे एवं उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात् ख0नं0 126 रकबा 02–03–10 एवं ख0नं0 756/2 रकबा 11–13–00 कुल किता 2 कुल रकबा 15–09–10 भूमि की यथास्थिति बनाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)